भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 522

28 नवंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के अंतर्गत पक्के मकान

522. श्रीमती शांभवीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री राजेश वर्माः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमएवाई-यू 1.0 योजना की तुलना में, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्मित और वितरित किए गए पक्के घरों की संख्या कितनी है;

(ख) योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले उन लोगों की संख्या कितनी है जो पक्के घरों में स्थानांतरित किए गए हैं और योजना के क्रियान्वयन से मलिन बस्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है;

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने प्रत्येक राज्य में ब्याज सब्सिडी योजना के तहत गृह ऋण पर, ब्याज राजसहायता दर का लाभ उठाया है और अब तक उनके द्वारा भुगतान की गई किश्तों की संख्या कितनी है;

(घ) साझेदारी के साथ किफायती आवास में निजी और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या योजना में भाग लेने वाली कंपनियों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) *से* (ङ): प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के

लिए 01.09.2024 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच), ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सस्ती लागत पर आवासों का निर्माण, क्रय किया जा सके और आवास किराये पर लिए जा सकें। आज तक, 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेंसियों को साझेदारी में किफायती आवास घटक के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को समयबद्ध आधार पर विभिन्न सुधार और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए "किफायती आवास नीति" तैयार करनी होगी। पीएमएवाई-यू 2.0 राज्यों को 'किफायती आवास नीति' तैयार करने में सहायता करता है।

*****